

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: अधिसूचना ::—

पटना-15, दिनांक- /05/2026
संख्या-14/निजी-1202/2025- /सा0प्र0-श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, बि0प्र0से0, को0क्र0-370/26, अपर समाहर्ता (लो0शि0नि0)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर को निजी कार्य हेतु दिनांक-05.03.2026 से दिनांक-25.03.2026 तक कुल-21 (इक्कीस) दिनों की उपभोग की गयी छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-538(23), दिनांक-16.04.2026 द्वारा निर्गत छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, बि0प्र0से0, को0क्र0-370/26, अपर समाहर्ता (लो0शि0नि0)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-300-21=279 दिनों की उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, बि0प्र0से0 को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिक-8(iii) के आलोक में वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1202/2025- 8175/सा0प्र0 पटना-15, दिनांक- 11/05/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्ता (लो0शि0नि0)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भागलपुर/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।